न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

प्र0 — 44 / 2024

बनाम :

1. सुरेश पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
2. सत्यनारायण पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
2. मंजू पुत्री कृष्ण कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. आरएमजीबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. बिमला पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री भानूप्रताप सिंह वादी
श्री अमरजीत सिंह प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 17 / 18 के खसरा सं0 199, 281 की कुल 21.1190है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 41 / 168 हिस्सा व इसी प्रकार चक 12 एमएसआर के खाता सं0 7 / 10 की कुल 2.7830है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 35 / 144 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति हैं। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 2, 5 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 की ओर से जवाब ... गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रतिवादीगण के साथ—साथ वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद ... स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.13 12:46:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही जा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 17/18 के खसरा सं0 199, 281 की कुल 21.1190है0 में तिवादी सं0 1 के नाम 41/168 हिस्सा व इसी प्रकार चक 12 एमएसआर के खाता सं0 7/10 ी कुल 2.7830है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 35/144 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों में जमाबंदी पैतृक से उक्त वाद भूमि ादी की दादालाई कृषि भूमि है। जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। पत्रावली में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी ारिस नहीं होना अंकित है। उपरोक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं0 2-5 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 17/18 के खसरा सं0 199, 281 की कुल 21. 1190है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 41/168 हिस्सा व इसी प्रकार चक 12 एमएसआर के खाता सं0 7/10 की कुल 2.7830है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 35/144 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण कुमार की बजाय वादी सं0 1 सुरेश वादी सं0 2 सत्यनारायण व प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण कुमार को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में दर्ज गै0मु0 खाला-रास्ता एवं किस्म को यथावत् रखा जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12-08-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12-08-24

(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.13 12:46:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

ं0न0 – 44/2024

नवान : –

1. सुरेश पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
2. सत्यनारायण पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
2. मंजू पुत्री कृष्ण कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. आरएमजीबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. बिमला पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी.चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री भानूप्रतापसिंह व वकील प्रतिवादीगण श्री अमरजीत सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 17/18 के खसरा सं0 199, 281 की कुल 21.1190है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 41/168 हिस्सा व इसी प्रकार चक 12 एमएसआर के खाता सं0 7/10 की कुल 2.7830है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 35/144 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण कुमार की बजाय वादी सं0 1 सुरेश वादी सं0 2 सत्यनारायण व प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण कुमार को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में दर्ज गै0मु0 खाला–रास्ता एवं किस्म को यथावत् रखा जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन कर

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-08-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.13 12:46:42 IST
Reason: SelfAttested

12-08-24

(ओ.पी.चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner